173/c

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण मे प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली.

दिनांक-08.05.2013

सं. फा. 23(488)/परि.वि./ऑपरेशन/2010/197

अधिसूचना

सं. फा. 23(488)/परि.वि./ऑपरेशन/2010/197,- इस संबंध में पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त उप-धारा (1) के खंड (घ) के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित निदेश देते है, अर्थात;-

1. इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के आटो रिक्शा तथा टैक्सी (काली तथा पीली छत) के ऑपरेटरों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा;-

(क) ऑटो रिक्शा

(i) किराया - (जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के लिए 0.50 रूपये के प्रभारों सहित)	प्रथम दो किलोमीटर के लिये 25 रूपये (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिये 8.00 रूपये
(ii) रात्रि प्रभार -	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रात; 5.00 बजे तक)
(iii) प्रतीक्षा प्रभार -	प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रूपये (कम से कम 15 मिनट तक ठहरने के लिये)
(iv) सामान प्रभार -	7.50 रूपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अटैची/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।

(ख) टैक्सी (काली और पीली छत)

(i) किराया - (जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के लिए 0.50 रूपये के प्रभारों सहित)	पहले 1 किलोमीटर के लिये 25 रूपये (मीटर डाउन करने पर) तथा इसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिये नॉन एसी टैक्सी 14.00 रूपये तथा एसी टैक्सी के लिए 16.00 रूपये प्रति किलोमीटर
(ii) रात्रि प्रभार -	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रात; 5.00 बजे तक)
(iii) प्रतीक्षा प्रभार -	प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिये 30 रूपये (कम से कम 15 मिनट तक ठहरने के लिये)
(iv) सामान प्रभार -	10 रूपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अटैची/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(पुनीत के. गोयल)
सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

...order and in the name of the Lt. Governor
...itory of Delhi,